

प्रेषक,

अजय कृष्ण,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0-2, सीतापुर।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद,

द्वारा,

जनपद न्यायाधीश,
सीतापुर।

विषय: प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय अलीगढ़ द्वारा दी गयी वर्ष 2020-21 की वार्षिक गोपनीय टिप्पणी के प्रतिकूल अंशों के संबंध में प्रत्यावेदन।

महोदय,

सादर निवेदन है कि मैं वर्ष 2020-2021 में अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कोर्ट सं0-1, अलीगढ़ के पद पर कार्यरत था। मैंने वर्ष 2020-2021 का सेल्फ असेसमेंट प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय अलीगढ़ को सबमिट किया था। माननीय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय अलीगढ़ द्वारा गोपनीय प्रविष्टि के नम्बर 01(e)(iv). Progress and disposal of execution cases के संबंध में यह टिप्पणी अंकित की गयी है कि 03 निष्पादन वाद लम्बित थे किन्तु पीठासीन अधिकारी द्वारा कोई भी केस डिसाइड नहीं किया गया है।

महोदय, उक्त टिप्पणी के संबंध में सादर निवेदन है कि निष्पादन वाद संख्या 9/19 रुचि सक्सेना बनाम विशाल सक्सेना दिनांक 16.12.2019 को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय अलीगढ़ में संस्थित हुआ था तथा स्थानान्तरण के बाद अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कोर्ट सं0-1 में दिनांक 09.01.2020 को प्राप्त हुआ था। उक्त निष्पादन वाद श्रीमती रुचि सक्सेना की ओर से अपने पति विशाल सक्सेना के विरुद्ध धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम के वाद में अंतरिम भरण पोषण की धनराशि की वसूली हेतु योजित किया गया था। धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम का वाद विशाल सक्सेना द्वारा वापस ले लिया गया था जिसमें अंतरिम भरण पोषण की धनराशि विशाल सक्सेना को अपनी पत्नी रुचि सक्सेना को देना था किन्तु उसके द्वारा धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम के वाद में अंतरिम भरण पोषण की धनराशि अदा नहीं की गयी थी इसलिये प्रार्थिया रुचि सक्सेना द्वारा उक्त धनराशि की वसूली हेतु यह इजराय वाद प्रस्तुत किया गया था किन्तु विशाल सक्सेना के न्यायालय में हाजिर न आने के कारण वसूली नहीं हो पायी थी।

निष्पादन वाद संख्या 1/20 सत्यवीर सिंह बनाम बीना देवी दिनांक 17.07.2020 को माननीय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय अलीगढ़ के न्यायालय में संस्थित हुआ था तथा दिनांक 06.11.2020 को अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कोर्ट सं0-1 के न्यायालय में जरिये स्थानान्तरण प्राप्त हुआ था। उक्त वाद धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत पारित किये गये एकपक्षीय निर्णय व डिक्री के निष्पादन हेतु था जिसमें विपक्षिया के हाजिर होने के लिए पत्रावली नियत थी किन्तु विपक्षिया पर नोटिस की तामीला न्यायालय पूरी तरह से क्रियाशील न होने के कारण नहीं हो पायी थी। दूसरी ओर

एकपक्षीय निर्णय था उसके निष्पादन की कार्यवाही में विपक्षिया पर नोटिस की तामीला कराया जाना उचित व न्यायसंगत था इसलिए निष्पादन की कार्यवाही नहीं की जा सकी।

निष्पादन वाद संख्या 2/20 अर्जुन बनाम श्रीमती रेनू दिनांक 17.07.2020 को माननीय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय अलीगढ़ के न्यायालय में संस्थित हुआ था तथा दिनांक 06.11.2020 को अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कोर्ट सं0-1 में जरिये स्थानान्तरण प्राप्त हुआ था। उक्त वाद धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत पारित किये गये एकपक्षीय निर्णय व डिक्री के निष्पादन हेतु था जिसमें विपक्षिया के हाजिर होने के लिए पत्रावली नियत थी किन्तु विपक्षिया पर नोटिस की तामीला न्यायालय पूरी तरह से क्रियाशील न होने के कारण नहीं हो पायी थी। दूसरी ओर एकपक्षीय निर्णय था उसके निष्पादन की कार्यवाही में विपक्षिया पर नोटिस की तामीला कराया जाना उचित व न्यायसंगत था इसलिए निष्पादन की कार्यवाही नहीं की जा सकी।

श्रीमान्जी सविनम्र अवगत कराना है कि माह मार्च 2020 से कोविड-19 के कारण न्यायालय की कार्यवाही बाधित चल रही थी, पक्षकार नहीं आ रहे थे इसलिए उक्त तीनों वादों का निस्तारण नहीं हो सका जबकि प्रार्थी द्वारा अपनी सम्पूर्ण क्षमता व योग्यता से न्यायिक कार्य करते हुए वादों को निस्तारित करने का पूरा प्रयास किया गया किन्तु कोविड-19 के कारण न्यायालय बंद रहे और जब खुले तो न्यायालय का कार्य सूचारु रूप से नहीं चला इसलिए उक्त तीनों निष्पादन वादों का निस्तारण नहीं हो सका। माननीय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय अलीगढ़ द्वारा जो वार्षिक गोपनीय टिप्पणी में प्रार्थी के कार्य के संबंध में विपरीत टिप्पणी की गयी है उससे प्रार्थी का आगामी सेवा काल प्रभावित होना सम्भावित है इसलिए प्रार्थी द्वारा अपना यह विनम्र प्रत्यावेदन माननीय उच्च न्यायालय को कृपा पूर्वक विचार किये जाने हेतु एवं प्रार्थी के कैरियर को प्रभावित करने वाली विपरीत टिप्पणी को विलोपित किये जाने के संबंध में उचित आदेशार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः महोदय से सविनम्र अनुरोध है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रत्यावेदन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कृपा पूर्वक विचारार्थ एवं मेरी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2020-21 के कालम सं0 01(e)(iv) में दी गयी प्रविष्टि टिप्पणी को मिटाने/समाप्त (Expunge) करने हेतु प्रस्तुत करने की कृपा करें। मैं माननीय न्यायालय का सदैव आभारी रहूंगा।

ससम्मान,

भवदीय,

दिनांक: 04.08.2021

(अजय कृष्ण)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0-2, सीतापुर।
J.O.Code no-UP5905